

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....144...../2026  
सं०सं० अ०नि० (02) 10/2026/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 798(24) दिनांक 13.04.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री अंजलि सिन्हा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं की शादी हेतु दिनांक 24.01.2026 से 17.02.2026 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 10/2026/नि०सं०.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मुख्य अभियोजक, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सुश्री अंजलि सिन्हा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 10/2026/नि०सं०.....1313

दिनांक.....21/5/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

2025/26  
उप सचिव।

*Ugrahar*